(264)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2015 एवं I.S.O.-14001-2015 प्रमाणित संस्था

पत्रांक : 751 /4/ई0ई0जोन–4/2019–20 दिनांक: 12.12.2019

सेवा में,

मै0 सुनील गर्ग एण्ड कं0,
150 ईस्ट माडल टाउन,
गाजियाबाद।

विषयः–प्रताप विहार योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 1200 ई0डब्लू0एस0 भवनों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्य हेतु आपको लेखा अनुभाग द्वारा अनुबन्ध संख्या 460/एफ0सी0/ई0ई0–4/2019 दिनांक 28.11.2019 जारी किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है। इस कार्य को दिनांक 20.12.2019 से प्रारम्भ कर दिनांक 19.06.2021 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

12/12/19

(मानवेन्द्र कुमार सिंह)
O/C अधिशासी अभियन्ता जोन–4

पत्रांक : 751 /4/ईई जोन–4/2019–20 दिनांक: 12-12-2019

प्रतिलिपि–

1. मुख्य अभियन्ता महोदय को सूचनार्थ।
2. सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12/12/19

O/ अधिशासी अभियन्ता जोन–4

(475)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2015 एवं I.S.O.-14001-2015 प्रमाणित संस्था

पत्रांक : 567 /4/ई०ई०जोन–4/2022–23 दिनांक : 28.5.22

सेवा में,

मै0 सुनील गर्ग एण्ड कम्पनी
150, ईस्ट मॉडल टाउन,
गाजियाबाद।

विषयः प्रताप विहार योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 1200 (जी+3) भवनों का निर्माण एवं विकास कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्य आपके द्वारा अनुबन्ध संख्या–460/एफ0सी0/ई0ई0जोन–4/2019 दिनांक 28.11.19 के अन्तर्गत किया जा रहा है। इस कार्य को पूर्ण कराने हेतु आपके द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र दिनांक 18.04.2022 के द्वारा प्रश्नगत कार्य को पूर्ण कराने हेतु दिनांक 31.03.2023 तक की समयवृद्धि की मांग की गई थी। आपके प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुये उपाध्यक्ष महोदय द्वारा बिना अर्थदण्ड के साथ दिनांक 31.12.2022 तक की समयवृद्धि दिनांक 19.05.2022 को प्रदान कर दी गयी है। कृपया कार्य की प्रगति बढाते हुये कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

27/5/22

(मानवेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,जोन–4

पृ०सं० 567 /4/ईई जोन–4/2022–23 दिनांकः 28.5.22

प्रतिलिपिः–

1. सहायक/अवर अभियन्ता को इस निर्देश के साथ कि कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

27/5/22

अधिशासी अभियन्ता,जोन–4

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।

(टिप्पणियां एवं आदेश)

सचिव / उपाध्यक्ष

कृपया प्रताप विहार आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के अर्न्तगत 1200 ई0डब्लू0एस0 (जी+3) भवनों के निर्माण कार्य के विचलन पर निविदा समिति द्वारा दिनांक ३०-५-२१ को विचार विमर्श किया गया। उपरोक्त कार्य मै0 सुनील गर्ग एण्ड कं0 द्वारा अनुबन्ध सं0–460 / एफ0सी0 / ई0ई0–4 / 2019 दिनांक 28.11.2019 के अन्तर्गत कराया जा रहा हैं। उपरोक्त कार्य की अनुबन्ध धनराशि रू0 60,67,97,693.58 की स्वीकृति पूर्व पृष्ठ सं0–13 पर उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 18.11.2019 को प्रदान की गयी। अभियन्त्रण जोनों द्वारा उल्लेखित किया गया है कि स्थल पर विवाद होने के कारण कार्य में विलम्ब होने के दृष्टिगत तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदया द्वारा उक्त अनुबन्ध के अर्न्तगत 480 भवनों का निर्माण स्थल परिवर्तन करते हुए राजनगर एक्सटेन्शन में निर्माण करने की अनुमति दिनांक 14.08.2020 को प्रदान की गई थी। स्थल विवाद सुलझने के उपरान्त शेष 720 भवनों का निर्माण मूल स्थल प्रताप विहार में कराया जा रहा है, जिसमें मिट्टी खुदाई व फाउण्डेशन के स्ट्रक्चर को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की डिजाईन के अनुसार व सुपर स्ट्रक्चर हेतु मधुबन–बापूधाम में बनायी जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना के भवनों की डिजाईन के अनुसार कार्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके अनुसार कार्य कराने पर कार्य में आर0सी0सी0 1:1.5:3 के स्थान पर फुटिंग व प्लिन्थ बीम एवं कॉलम एम–30 व अवशेष प्लिन्थ बीम एवं सुपर स्ट्रक्चर कॉलम बीम स्लैब स्टेयर आदि एम–25 करने के कारण दिल्ली शिड्यूल ऑफ रेट–2018 पर आंकलित करने के साथ–साथ आर0सी0सी0 की शटरिंग ली गयी है।

अभियन्त्रण जोन द्वारा अवगत कराया गया है कि राजनगर एक्सटेन्शन में 480 भवनों को बहुमंजिला बनाया जाना था, लेकिन लागत अधिक होने के कारण इन भवनों को चार मंजिला बनाये जाने हेतु ले–आउट में परिवर्तन करते हुए, जिसकी डिजाईन जामियां मिलियां विश्वविद्यालय से भारित कराने के उपरान्त आर0सी0सी0 की मदों में डिजाईन मिक्स एम–25 का प्राविधान किया गया है।

अभियन्त्रण जोनों द्वारा अपनी आख्या में उल्लेखित किया गया है कि प्रस्तावित विचलनों में आन्तरिक विकास कार्यो को सम्मिलित नहीं किया गया है। आन्तरिक विकास कार्य पृथक से कराया जाना प्रस्तावित किया गया है।

अभियन्त्रण जोनों द्वारा अवगत कराया गया है कि कुल 1200 भवनों हेतु न्यायोचित धनराशि की गणना रू0 38,65,85,933.93 + रू0 28,24,78,817.20=66,90,64,751.13 की गणना अभियन्त्रण जोनों द्वारा प्रस्तावित की गई है। न्यायोचित धनराशि प्रस्तावित विचलन धनराशि से 0.25 प्रतिशत निम्न है तथा प्रस्तावित विचलन के पार्ट–ए में 10 अतिक्तिर मद धनांक रू0 10,56,51,182.59 तथा पार्ट–बी में 09 अतिरिक्त मदों धनांक रू0 9,56,43,025.16 कुल 1200 भवनों हेतु धनांक रू0 20,12,94,207.75 के अतिरिक्त मद प्रस्तावित किये गये है।

अभियन्त्रण जोन द्वारा अवगत कराया गया है कि स्थल पर विवाद होने के कारण कार्य आरम्भ नहीं हो सका। स्थल विवाद सुलझाने एवं अक्टूबर माह में कार्य आरम्भ करने हेतु कार्य में 10 माह का विलम्ब हो गया है, जिससे अवशेष समय में कार्य पूर्ण करने हेतु 10 माह अतिरिक्त समय की आवश्यकता होने की दृष्टि से दिनांक 19.04.2022 तक समयवृद्धि प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। गणना की जांच अवर अभियन्ता–तकनीकी एवं सहायक अभियन्ता–तकनीकी द्वारा कर ली गयी है।

अभियन्त्रण जोनों द्वारा निम्न प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है :–

1. प्रताप विहार योजना के अन्तर्गत 720 भवनों के निर्माण हेतु पार्ट–ए अनुपातिक अनुबन्ध धनराशि रू0 36,40,78,616.13 के सापेक्ष प्रस्तावित विचलन धनराशि रू0 38,56,19,469.10 की स्वीकृति।
2. नूरनगर योजना के अर्न्तगत 480 भवनों के निर्माण कार्य हेतु पार्ट–बी अनुपातिक धनराशि रू0 24,27,19,077.43 के सापेक्ष प्रस्तावित विचलन धनराशि रू0 28,17,72,620.15 की स्वीकृति।
3. प्रताप विहार में 720 भवनों तथा नूरनगर योजना में 480 भवनों के निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित समयवृद्धि दिनांक 19.04.2022 की स्वीकृति।
4. 1200 भवनों के लिए कुल विचलित धनराशि रू0 66,73,92,089.25, जो अनुबन्ध धनराशि (रू0 60,67,97,693.58) से अधिक रू0 6,05,94,395.67 है अर्थात 9.99 प्रतिशत की वृद्धि का है।

अतः उपरोक्तानुसार नोट पृष्ठ सं0–45 पर अधिशासी अभियन्ता जोन–1 व 4 की अनुशंसा व अधीक्षण अभियन्ता की संस्तुति एवं नोट पृष्ठ संख्या–46 पर सहायक अभियन्ता–तकनीकी की आख्या के क्रम में 1200 भवनों (अर्थात 720 भवन पार्ट–ए एवं 480 भवन पार्ट–बी) के निर्माण हेतु मै0 सुनील गर्ग एण्ड कं0 का प्रस्तावित विचलन 10 अतिरिक्त मदों सहित रू0 66,73,92,089.25 (रूपये छासठ करोड़ तिहत्तर लाख बानवे हजार नवासी व पच्चीस पैसे मात्र) जो अनुबन्ध धनराशि से 9.99 प्रतिशत वृद्धि का है, की स्वीकृति एवं कार्य पूर्ण करने हेतु दिनांक 19.04.2022 तक की समयवृद्धि की स्वीकृति पर विचार हेतु निविदा समिति द्वारा संस्तुति की जाती है।

(डी0के0 गुप्ता)	(अनिल कुमार सिंह)	(मानवेन्द्र कुमार सिंह)	(वी0एन0 सिंह)	(सूबेदार सिंह)
सहायक अभियन्ता–तकनीकी	अधिशासी अभियन्ता जोन–1	अधिशासी अभियन्ता जोन–4	मुख्य अभियन्ता	वित्त नियन्त्रक

1695/SC
30/04/2021

683/VC
04-05-021

954/CE
28/5/2021

30/4/21
संतोष कुमार राय
सचिव

Can the bid amount be increased during tender period. Why was it not flagged during finalization of work..! Clarify.

21/07
कृष्णा करुणेश
उपाध्यक्ष
गा0वि0प्रा0 गाजियाबाद

CE
सचिव
29/5/21

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

(टिप्पणियां एवं आदेश)

मुख्य अभियन्ता/सचिव/उपाध्यक्ष महोदय

कृपया पूर्व नोट शीट संख्या 49 पर अंकित उपाध्यक्ष महोदय की प्रेच्छा दिनांक 21.05.21 के कम में निम्नलिखित बिन्दु अवलोकनीय हैं।

1. प्रताप विहार योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1200 ई.डब्ल्यू.एस. (जी+3) भवनों के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु मै0 सुनील गर्ग एण्ड कम्पनी के पक्ष में अनुबंध संख्या 460/एफ.सी./ई.ई–4/2019 दिनांक 28.11.19 निष्पादित किया गया, किन्तु स्थल पर तत्समय भूमि विवाद होने के कारण कार्य प्रारम्भ नही कराया जा सका।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ही ग्राम–नूरनगर, राजनगर एक्सटेंशन में प्रस्तावित 480 ई.डब्ल्यू.एस. (जी+3) भवनों की डी.पी.आर. भी शासन द्वारा अनुमोदित की जा चुकी थी।
3. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शासन द्वारा निरन्तर मॉनिटरिंग की जा रही थी एवं आवंटित भवनों का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। ग्राम–नूरनगर में प्रस्तावित 480 भवनों के व्ययानुमान स्वीकृत कराने एवं निविदा आमंत्रण आदि कार्यवाही किए जाने में काफी समय व्यतीत होता, जिसके दृष्टिगत प्रताप विहार योजना में प्रस्तावित 1200 भवनों में से 480 भवनों का निर्माण उपरोक्तानुसार ग्राम–नूरनगर में कराने के लिए स्थल परिवर्तन हेतु निविदा समिति द्वारा की गयी संस्तुति के कम में दिनांक 14.08.2020 को तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।
4. प्रारम्भिक चरण में प्रश्नगत कार्य का आगणन स्टैन्डर्ड डिजाईन एवं विशिष्टियों के आधार पर किया गया था। तत्पश्चात् स्थल पर मृदा परीक्षण कराते हुए कन्सल्टेन्ट द्वारा वर्किंग डिजाईन/ड्राइंग्स उपलब्ध करायी गयी, जिनके अनुसार मुख्य रूप से फाउण्डेशन के कार्य एवं कतिपय अन्य मदों/विशिष्टियों में संशोधन किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त ग्राम–नूरनगर में प्रस्तावित स्थल निकटवर्ती रोड लेवल से लगभग 03 मी0 नीचा होने के कारण मिट्टी भराई का कार्य कराया जाना भी आवश्यक है।

   कन्सल्टेन्ट द्वारा उपलब्ध करायी गयी डिजाईन/ड्राइंग्स के अनुसार मुख्य रूप से नींव एवं सुपर स्ट्रक्चर में आर.सी.सी. के कार्य में 1:1.5:3 के स्थान पर M-25 आर.एम.सी का प्राविधान करने के कारण रू0 530.00 लाख एवं मिट्टी भराई हेतु रू0 75.00 लाख की वृद्धि को सम्मिलित करते हुए कुल विचलन धनांक रू0 66,73,92,089.25 प्रस्तावित किया गया है जो अनुबंधित धनराशि से 9.99 प्रतिशत अधिक है एवं शासनादेश संख्या 4575/आठ–1–06–87विविध/06 दिनांक 14.07.06 में अनुमन्य सीमा (10 प्रतिशत) के अंतर्गत है। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त शासनादेश की छायाप्रति पत्रावली में दायी ओर संलग्न है।
5. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूर्व में भी अन्य परियोजनाओं यथा मधुबन बापूधाम, डासना आदि में मृदा परीक्षण उपरान्त वर्किंग डिजाईन/ड्राइंग्स के अनुसार मुख्य रूप से फाउण्डेशन के कार्य एवं अन्य मदों/विशिष्टियों में आवश्यक संशोधन कराते हुए विचलन स्वीकृत किया गया है।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार पृष्ठ संख्या 48 एवं 49 पर अंकित निविदा समिति की संस्तुति के कम में अनुबंध संख्या: 460/एफ.सी./ई.ई–4/2019 दिनांक 28.11.19 के अंतर्गत निर्माणाधीन 1200 भवनों (पार्ट–ए: 720 भवन एवं पार्ट बी: 480 भवन) के निर्माण हेतु प्रस्तावित विचलन धनांक रू0 66,73,92,089.25 (रूपयां छियासठ करोड तिहेत्तर लाख बानवे हजार नवासी एवं पच्चीस पैसे मात्र) जो अनुबंधित धनराशि रू0 60,67,97,693.58 से रू0 6,05,94,395.67 अर्थात 9.99 प्रतिशत अधिक है की स्वीकृति एवं कार्य पूर्ण करने हेतु दिनांक 19.04.2022 तक की समयवृद्धि हेतु पत्रावली अग्रसारित करने का कष्ट करें।

देवेश कुमार
अवर अभियन्ता
जोन-4

बलवन्त सिंह
अवर अभियन्ता

राकेश श्रीवास्तव
अवर अभियन्ता

विजयपाल सिंह
अवर अभियन्ता, जोन-4

अमरदीप कुमार
सहायक अभियन्ता

AE (2-4)

अधिशासी अभियन्ता, जोन-4

CE

बी0एन0 सिंह
मुख्य अभियन्ता

कृष्णा करुणेश
उपाध्यक्ष

सचिव